Annexure P-7 8

151

संख्या— : 708/I/2018–05/24 (Writ)/2016

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विकासकर्ता (सूची संलग्न),
जल विद्युत परियोजनायें,
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक : 5 जून, 2018

विषय– :– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेश दि0 09.08. 2017 के अन्तर्गत नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह छोड़े जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के द्वारा मूल आवेदन सं0–498/2015 (एम0ए0 सं0–628/2016) पुष्प सैनी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य, में नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (Minimum Environmental Flow) के सम्बन्ध में दि0–09–08–2017 को निम्न आदेश पारित किया गया है :–

"We direct that all the rivers in the country shall maintain minimum 15% to 20% of the average lean season flow of that river."

इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक–यूईपीपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–139/2017/4218–781 दिनांक 13–09–2017 के माध्यम से उक्त आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गए हैं।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में स्थित समस्त जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वियर से नदियों में सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 09–08–2017, पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत् जल प्रवाह बनाये रखने के दृष्टिगत निरंतर न्यूनतम 15 प्रतिशत लीन सीजन फ्लो छोड़ना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Radhika

(राधिका झा)
सचिव